फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत.........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक..............मुकाम......................भादरा...............................

....कैलाशचन्द्र.......बनाम.. रेशमा आदि ....

म मुकदमा............212 आरटीएक्ट ....न० 65/20 सन्.............. 2020............................

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
5.12.2020	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री पवन सिंहाग के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मौजा 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 31/25 के मु0 न0 62 के किला न0 16, 25 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 64 के किला न0 21 ता 24 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 25/1 की 0.063है0, मु0 न0 65 के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक की 0.253है0, 4/1 की 0.152है0 किला न0 8/1 की 0.025है0, 8/2 की 0. 202है0, किला न0 9 ता 11 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 12 की 0.240है0, किला न0 13/1 की 0.038है0, किला न0 13/2 की 0. 190है0, मु0 न0 66 के किला न0 1 ता 15 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 67 के किला न0 5, 6, 15 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 8.5000है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थी के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 19.02. 2021 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एव सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थीया प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। इस बाबत कोई उज एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला वाद [illegible] कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीग[illegible]बी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाये [illegible] पत्रावली दिनांक 19.02.2021 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Satya Narayan Date: 2021.01.19 10:30:00 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा	

Scanned with CamScanner

22.12.20

वकील वादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.......तलबी शेष
दिनांक.....6-1-21.......को पेश हो।

6-1-21 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप०। ~~मुतावाद का~~ ~~फैसला~~ पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8-1-21 को पेश हो।

8-1-21 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप०। मुतावाद का फैसला हो चुका है अतः पत्रावली 212 RTAct अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश: खारिज किया हो चुकी है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:30:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner